छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा प्रथम सत्र अंक-08

रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 फरवरी, 2014

(माघ-16, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. शपथ/प्रतिज्ञान

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को सूचित किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 333 की अपेक्षानुसार माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा नाम-निर्देशित सदस्य श्री बर्नाड जे.रोड्रीग्स शपथ लेंगे।

नाम-निर्देशित सदस्य श्री बर्नाड जे.रोड्रीग्स ने अंग्रेजी में शपथ ली तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर कर सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

2. शुभकामना

माननीय अध्यक्ष श्री बर्नाड जे.रोड्रीग्स को शुभकामनाएं देते हुए व्यक्त किया कि - श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रीग्स को चतुर्थ विधान सभा में माननीय राज्यपाल द्वारा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामांकित होने पर मैं उनका मेरी ओर से एवं सभा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं।

श्री रोड्रिग्स तृतीय विधान सभा में भी नामांकित हुए थे और उन्होंने सभा में जनप्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया था।

उन्हें मैं इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं।

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 04 से 9 एवं 11 (कुल 9) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 03 एवं 10 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री दीपक बैज एवं भैयाराम सिन्हा अनुपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 6 तारांकित एवं 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. बहिर्गमन

ता.प्र.सं. 8 पर चर्चा के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए एवं श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया ।

5. वक्तव्य

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने जिला सूरजपुर थाना प्रतापपुर के चौकी खड़गवां क्षेत्र में स्थित बिलद्वार गुफा के मुहाने के आकस्मिक धसने से दर्शनार्थियों के दबने से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य दिया।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्रीमती रमशिला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013, **पटल पर रखा।**

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने प्रदेश के स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा में व्याप्त अनियमितता की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने चांपा नगर के रेल्वे कालोनी निवासी छात्रा के साथ अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

8. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं हेतु 830 पदों पर भर्ती किये जाने,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए ।)

(2) श्री अरूण वोरा, सदस्य ने खैरागढ़ छुईखदान ब्लॉक के अंदरूनी गांव में नलकूप नहीं होने के कारण पेयजल की समस्या होने,

(3) श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत शासकीय बालक हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण कार्य में अनियमितता किये जाने, एवं

(4) श्री रामदयाल उइके, सदस्य ने जिला कोरबा विकासखंड पोड़ी-उपरोड़ा में हैण्डपंप से फ्लोराइट युक्त पानी पीने से शारीरिक विकृतियां उत्पन्न होने संबंधी, **शून्यकाल की सूचना पढ़ी।**

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) पुरःस्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) पुरःस्थापित किया ।

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 2 सन् 2014) एवं छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 3 सन् 2014) पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15-15 मिनट का समय निर्धारित किया।

6. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिये कार्य योजना बनाकर समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाना

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री देवजी भाई पटेल, अरूण वोरा, नवीन मारकण्डेय, (जारी)

(1.30 बजे से 3.01 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, अवधेश सिंह चंदेल, बृहस्पत सिंह, लाभचंद बाफना, राजेन्द्र कुमार राय, श्रीमती चंपादेवी पावले, डॉ.विमल चोपड़ा,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री मनोज सिंह मंडावी, श्रीमती सरोजनी बंजारे, सर्वश्री श्यामलाल कंवर, राजमहंत सांवला राम डाहरे, मोहन मरकाम, श्रीचंद सुंदरानी, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्री लालजीत सिंह राठिया, श्रीमती रूपकुमारी चौधरी,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए ।)

श्री चुन्नीलाल साहू,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 6 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 5.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनाँक 6 फरवरी, 2014 (माघ 17, शक संवत् 1935) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा